न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA090 Jabararam etc Vs ChandraRam etc

1. जबराराम पुत्र किशनाराम कुम्हार
2. माधुराम पुत्रा किशनाराम कुम्हार
3. बाबूलाल पुत्र किशनाराम कुम्हार
4. पांचाराम पुत्र किशनाराम कुम्हार
5. छोटाराम पुत्र थानाराम कुम्हार
6. लाबूराम पुत्र नैनाराम कुम्हार
7. बाबूलाल पुत्र रिमजीराम कुम्हार
8. अनोपाराम पुत्र लाबूराम कुम्हार
9. चैनाराम पुत्र लाबूराम कुम्हार

निवासीगण कोसाणा, तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. चन्द्रराम पुत्र किस्तुरराम माली
2. डूँगरराम पुत्र किस्तुरराम माली
3. मदनलाल पुत्र किस्तुरराम माली
4. पांचाराम पुत्र किस्तुरराम माली
5. मुकनाराम पुत्र किस्तुरराम माली
6. कबूडी पत्नी किस्तुरराम माली
7. झूमरराम पुत्र बालूराम माली
8. सायरराम पुत्र बालूराम माली
9. देवाराम पुत्र बालूराम माली

निवासीगण कोसाणा, तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर

10. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, ग्राम कोसाणा
11. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार पीपाडशहर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर दिनांक 25 जुलाई 2019 राजस्व प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1288/2017 चन्द्राराम व अन्य बनाम
जबराबराम आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री जयदेवसिंह चारण, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से नौ
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह
रेस्पो. संख्या दस की ओर से कोई उपस्थित नहीं

नि र्ण य

दिनांक : 15 नवम्बर, 2019

अपीलाण्ट्स ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 1288/2017 चन्द्राराम बनाम जबराराम आदि में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 02 अगस्त 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से नौ ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1285 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा वाके मौजा कोसाणा तक आवागमन हेतु आराजी खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे 30 फीट चौडे रास्ते की मांग करते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी के उक्त खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे इसी रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से नौ कदीम से करते चले आ रहे है, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक और निकटतम् रास्ता मौके पर नहीं है। 03अगस्त 2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर प्रतिपक्षी-अपीलाण्ट्स को नोटिस जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किये जाने एवं भू-अभिलेख निरीक्षक कोसाणा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश जारी करते हुए आईन्दा तारीख पेशी 28 अगस्त 2017 मुकर्रर की। 14 सितम्बर 2017 की आदेशिका अनुसार अपीलाण्ट-अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग पेश की गयी, अप्रार्थी संख्या 9 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ, अन्य अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के सम्मन अदम तामील प्राप्त होने से पुनः पेश करने हेतु वकील प्रार्थीगण को निर्देश दिये गये। 23 अक्तूबर 2017 को अपीलाण्ट-अप्रार्थी संख्या एक की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, अप्रार्थीगण संख्या 2 से 8 के सम्मन पुनः पेश करने हेतु अधिवक्ता-प्रार्थी को हिदायत दी गयी। आगामी पेशी 03 नवम्बर 2017 को अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 6 एवं 7 की से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 8 के रजिस्टर्ड एडी से भिजवाए सम्मन की प्राप्ति रसीद प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी जब उक्त अप्रार्थी संख्या 8 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया तो दिनांक 29 नवम्बर 2017 को उसके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 5 के रजिस्टर्ड एडी से भिजवाने के आदेश भी दिये गये। दिनांक 10 जनवरी 2018 को उक्त अप्रार्थी के रजिस्टर्ड एडी सम्मन की प्राप्ति रसीद आ जाने के उपरान्त भी जब अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तो इसके खिलाफ भी इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 व 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 12 मार्च 2018 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर आपत्ति करते हुए दिनांक 23 मार्च 2018 को अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी। दिनांक 26 जुलाई 2018 को दुबारा मौका रिपोर्ट पेश हुई, जिसके संबंध में भी अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 20 सितम्बर 2018 को उज्र करते हुए प्रार्थनापत्र पेश किया, जो दिनांक 11 अक्तूबर 2018 को प्रार्थीगण की सहमति से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कमिश्नर की फीस अप्रार्थीगण द्वारा वहन किये जाने के आदेश सहित तहसीलदार पीपाडशहर से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी। मामले में तीसरी दफा मौका रिपोर्ट दिनांक 24 जून 2019 को प्राप्त हुई, जिसके संबंध में भी अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25 जून 2019 को आपत्ति करते हुए प्रार्थनापत्र पेश किया। दिनांक 25 जून 2019 को अनोपराम व चैनाराम की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश एक नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया, प्रार्थीगण ने संशोधित वादशीर्षक पेश किया। अप्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए का जबाब पेश करने बाबत अंतिम अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 27 जून 2019 मुकर्रर की गयी। 08 जुलाई 2019 को अप्रार्थीगण की ओर से जबाब-प्रार्थनापत्र पेश किया गया। दिनांक 11 जुलाई 2019 को मूल प्रार्थनापत्र बाबत उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस समायत की गयी और दिनांक 25 जुलाई 2019 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण-रेस्पो. का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स-रेस्पो. द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता प्रदत्त किया गया है, वह सही नहीं है, न तो प्रार्थीगण-रेस्पो. उक्त रास्ते से कभी आते-जाते रहे है और न ही कभी उक्त खसरा नम्बर रास्ते के तौर पर उपयोग में आता रहा है। वास्तव में प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1285 तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 1292 में से कभी आते-जाने नहीं थे और न ही उनका इसमें से कभी कोई रास्ता रहा है। पूर्व में उनके द्वारा अपीलाण्ट्स के खेत में से रास्ता धारा 133 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत परिवाद संख्या 4/2017 चन्द्राराम बनाम जबराराम आदि प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाने का अनुतोष मांगा, जो खारिज किया जा चुका है। इसके बाद उसी रास्ते को खुलवाने का प्रार्थनापत्र अदालत हाजा मे प्रस्तुत किया है, जो पोषणीय नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में गम्भीर विधिक त्रुटि की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि प्रदत्त रास्ते के अलावा भी वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1297 में से होकर मौजूद है, मगर मौका कमिश्नर द्वारा रेस्पो. के दबाव में आकर उसे मौका रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है और दूसरी मौका रिपोर्ट दिनांक 13 जुलाई 2018 में उसे दर्शाये जाने के उपरान्त भी तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नहीं किया। इतना ही नहीं, उक्त रिपोर्ट बाबत एतराज करने पर जो तृतीय रिपोर्ट तलब की गयी, तो द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार ही तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी बिना साक्ष्य सबूत लिये और अपीलाण्ट से उज्र-एतराज को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 जुलाई 2019 के जरिये रेस्पो. -प्रार्थीगण को खसरा संख्या 1292 में से प्रदत्त रास्ता दे दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार पीपाडशहर ने प्रदत्त रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि के रकबे के एवज में भूमि दिये जाने के विकल्प को तलाशे बिना डीएलसी दर से मुआवजा दिये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो नियम विरुद्ध है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर स्वयं द्वारा वैकल्पिक रास्ता होने बाबत कोई जांच नहीं की गयीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क में केवल कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही नया रास्ता दिया जा सकता हैं। इस तथ्य को रेस्पो.-प्रार्थीगण को साबित करना आवश्यक है। वर्तमान मामले में प्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। जबकि मौके पर खसरा संख्या 1297 में से रेस्पो. -प्रार्थीगण के लिए रास्ता निकाला जा सकता है, उक्त रास्ते के तथ्य को तहसीलदार पीपाडशहर ने अपनी रिपोर्ट में छिपाकर आवेदक से मिल कर एकपक्षीय रिपोर्ट भेजी है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्ट व उसे मान्य करने की कार्यवाही abuse of process की श्रेणी में आने से समस्त कार्यवाही शून्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है। 13 जून 2019 की रिपोर्ट में रास्तों की दूरिया नहीं दर्शायी गयी, इसलिए निर्णय नहीं हो सका। 13 जून 2019 की रिपोर्ट में दिनांक 13 जुलाई 2018 की रिपोर्ट के तथ्य लिखते हुए पेश कर दी गयी, वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया गया। बिन्दु डी-जी-एच कटाणी रास्ता है जो बिन्दु एच पर खत्म हो जाता है। यह बिन्दु एच खसरा संख्या 1297 के अन्त तक आता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1285 के उत्तर में अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1292 स्थित है और उसके उत्तर में सार्वजनिक रास्ता है, सार्वजनिक रास्ते से प्रार्थीगण-रेस्पो. सदैव से अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे अपनी खातेदारी भूमि खसरा सख्या 1285 तक आते-जाते रहे है, गांव से आते हुए यहाँ से ही मुडने पर ही प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी की भूमि तक आवागमन का रास्ता लघुतम दूरी का होता है। अतः सदैव से यही रास्ता प्रयुक्त किया जाता रहा है। अब समय-समय पर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा कांटे, झाड-झंखाड आदि डाल कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे प्रार्थीगण-रेस्पो. को परेशानी होती है और पक्षकारान के मध्य आपसी तनाव व मनमुटाव भी बढता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1285 एवं सार्वजनिक रास्ते खसरा संख्या 1272 के मध्य आवागमन हेतु खसरा संख्या 1292 की पश्चिम माठ से सहारे-सहारे रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किये जाने बाबत पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद आवश्यक कार्यवाही उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 जुलाई 2019 स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. ने 2019 आरआरडी 119 (हाईकोर्ट) की नजीर प्रस्तुत की और कथन किया कि वास्तविक लघुतम रास्ता ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया गया है। आलौच्य मामले में बार-बार अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रिपोर्ट बाबत उज्र-एतराज किये जाने के कारण कुल तीन बार मौका रिपोर्ट तलब की गयी है, हर बार मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे होकर ही प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आने वाले रास्ते को लघुतम रास्ता बताया गया है। सिविल न्यायालय में प्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. ने 2015(2) आरआरटी 1003 पेश करते हुए जाहिर किया कि सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पो. का प्रकरण मेरिट पर खारिज नहीं किया, अपितु रास्ता खुलवाने के मामले में वाद खारिज किया, अतः सिविल न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण और उसमें सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कोई प्रतिकूल प्रभाव आलौच्य मामलें पर नहीं पडता है और न ही सिविल न्यायालय द्वारा धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थीगण-रेस्पो. को रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत किसी प्रकार की कोई पाबन्दी लगायी गयी है।

साक्ष्य-सबूत के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा किये गये तर्क के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. ने 2010 आरआरडी 578 (उच्च न्यायालय) उद्धरित करते हुए कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही होती है जिसमें नियमित वाद की तरह दावे एवं जबाब के आधार पर तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत और सुनवाई की प्रकिया के बाद तनकीवार विवेचन कर निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित नहीं किया जाता है, अपितु संक्षिप्त जॉच के पश्चात समाधान हो जाता है तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा रास्ता कायम कर दिया जाता है।

इसी प्रकार डीएलसी दरों की दुगुनी दर से प्रतिकर दिये जाने की बजाय भूमि के बदले भूमि दिये जाने के विकल्प बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के तर्क का खण्डन करते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में भूमि के बदले भूमि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. ने 2018 आरआरडी 709 एवं 2019(1) आरआरटी 285 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया जाता है कि --

- प्रार्थीगण-रेस्पो. का प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं मौका रिपोर्ट तलब की गयी। सभी अप्रार्थीगण की तामील दिनांक 10 जनवरी 2018 तक हो चुकी थी, अप्रार्थीगण संख्या 5 व 8 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गयी जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 6 व 7 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो गये मगर अप्रार्थी-पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए का जबाब बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 25 जून 2019 तक प्रसतुत नहीं किया गया, तत्पश्चात दिनांक 08 जुलाई 2019 को जबाब पेश किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में नियमानुसार मौका रिपोर्ट सर्वप्रथम दिनांक 03 अगस्त 2017 को तलब की गयी, जिसके अनुसरण में प्रथम मौका रिपोर्ट (11 मार्च 2018) अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12 मार्च 2018 को प्राप्त हुई और दिनांक 25 मार्च 2018 को उक्त रिपोर्ट बाबत अप्रार्थीगण की ओर से उज्र करते हुए प्रार्थनापत्र पेश किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के अनुसरण में द्वितीय मौका रिपोर्ट (दिनांक 13 जुलाई 2018) अधीनस्थ न्यायालय में निांक 26 जुलाई 2018 को प्राप्त हुई। मगर इस द्वितीय रिपोर्ट के संबंध में अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 20 सितम्बर 2018 को पुनः एतराज करते हुए प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो दिनांक 11 अक्तूबर 2018 को स्वीकार करते हुए मौका कमिश्नर की रिपोर्ट अप्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क वहन करने की आज्ञा देते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी। इस आदेश की **पालना में तीसरी बार मौका दिनांक 13 जून 2019 को देखा जाकर मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24 जून 2019 को पेश हुई।** जिसके बाबत भी अप्रार्थीगण की ओर से 25 जून 2019 को पुनः आपत्ति-पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, **जो अपीलाधीन आदेश में खारिज किया गया।** इससे प्रकट होता है कि बारम्बार अप्रार्थीगण द्वारा प्रत्येक मौका रिपोर्ट से किसी न किसी

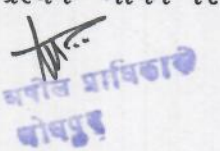

प्रकार असहमति जाहिर कर मामले में अनावश्यक विलम्ब करने का प्रयास किया जाता रहा है। इसके अलावा इन तीनों मौका रिपोर्ट्स के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि प्रथमतः तीनों रिपोर्ट में खसरा संख्या 1285, जो कि रेस्पो. की खातेदारी की भूमि है, तक आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी के खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे चलने वाला रास्ता ही सबसे लघु एवं निकटतम् दूरी का रास्ता है। दूसरी बार मौका देख कर तैयार की गयी रिपोर्ट में खसरा संख्या 1292 से 1291 व 1287 तथा 1286 में **रास्ता बिन्दु डी-ई-एफ दर्शाया गया है,** मगर वह रास्ता खसरा संख्या 1286 के पास बिन्दु **"एफ"** पर समाप्त हो जाता है और प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा संख्या 1285 तक नहीं पहुँचता है। साथ ही इस रास्ते के बारे में यह भी वर्णित किया गया कि **यह कटाणी रास्ता नहीं है।** दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी खसरा संख्या 1301 से 1297 में से होकर 1296 के **"एच"** बिन्दु तक पहुँच कर आगे बढाया जावे तो निश्चित रूप से खसरा संख्या 1292 में से प्रदत्त रास्ते से लम्बी दूरी का है। परिणामतः दूसरी रिपोर्ट के अनुसार भी खसरा संख्या 1285, जो कि रेस्पो. की खातेदारी की भूमि है, तक **आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी के खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे चलने वाला रास्ता ही सबसे लघु एवं निकटतम् दूरी का रास्ता है।** तीसरी बार मौका देख कर तैयार की गयी मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रिपोर्ट दिनांक 13 जून 2019 में भी सबसे कम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 1292 के पश्चिम दिशा में माठ के सहारे-सहारे बिन्दु ए से बी तक दर्शाया गया है। इस प्रकार लगातार तीन बार की मौका रिपोर्ट को सरसरी तौर पर "गलत अथवा मिलीभगती से तैयार की गयी" करार देते हुए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

- सिविल न्यायालय द्वारा कोई पाबन्दी रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक रास्ता दिये जाने अथवा अपीलाण्ट्स की भूमि में से रास्ता प्रदत्त किये जाने बाबत लगायी गयी हो, ऐसा कोई आदेश अस्तित्व में होना अपीलाण्ट्स द्वारा जाहिर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में 2015(2) आरआरटी 1003 पर आधारित अधिवक्ता-रेस्पो. के इस कथन से अदालत हाजा सहमत है कि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण और उसमें सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कोई प्रतिकूल प्रभाव आलौच्य मामलें पर नहीं पडता है और न ही सिविल न्यायालय द्वारा धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थीगण-रेस्पो. को रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत किसी प्रकार की कोई पाबन्दी लगायी गयी है।
- अधिवक्ता-रेस्पो. के इस तर्क से भी अदालत हाजा सहमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही होती है जिसमें नियमित वाद की तरह दावे एवं जबाब के आधार पर तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत और सुनवाई की प्रकिया के बाद तनकीवार विवेचन कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित नहीं किया जाता है। अपितु संक्षिप्त जॉच के पश्चात समाधान हो जाता है तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते है। जैसाकि 2010 आरआरडी 578 (उच्च न्यायालय) के मामले में धारित किया गया है। अतः साक्ष्य-सबूत के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा किये गये तर्क मान्य नहीं है।

- इसी प्रकार डीएलसी दरों की दुगुनी दर से प्रतिकर दिये जाने की बजाय भूमि के बदले भूमि दिये जाने के विकल्प बाबत यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में भूमि के बदले भूमि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत नजीरों 2018 आरआरडी 709 एवं 2019(1) आरआरटी 285 से भलीभांति मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 जुलाई 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर